

PGDLL-05

December - Examination 2017

PGDLL Examination**Labour Jurisprudence and the I.L.O.****Paper - PGDLL-05****Time : 3 Hours]****[Max. Marks :- 100**

Note: The question paper is divided into three sections A, B and C. Write answers as per the given instructions.

निर्देश : यह प्रश्न पत्र 'अ', 'ब' और 'स' तीन खण्डों में विभाजित है। प्रत्येक खण्ड के निर्देशानुसार प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

Section - A**10 × 2 = 20**

(Very Short Answer type Questions)

Note: Answer **all** questions. As per the nature of the question delimit your answer in one word, one sentence or maximum up to 30 words. Each question carries 2 marks.

खण्ड - 'अ'

(अति लघु उत्तरीय प्रश्न)

निर्देश : सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आप अपने उत्तर को प्रश्नानुसार एक शब्द, एक वाक्य या अधिकतम 30 शब्दों में परिसीमित कीजिए। प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का है।

- 1) (i) **Collective Bargaining**
सामूहिक सौदेबाजी
- (ii) **I.L.O. (Full Form)**
आई.एल.ओ. (पूर्ण नाम)
- (iii) **Public Interest Litigation**
लोकहित वाद
- (iv) **Industrial tribunal**
औद्योगिक अधिकरण
- (v) **Locus Standi**
अधिकारिता
- (vi) **National tribunal**
राष्ट्रीय अधिकरण
- (vii) **Industrial dispute**
औद्योगिक विवाद
- (viii) **Voluntary Arbitration**
स्वैच्छिक पंचनिर्णय
- (ix) **Labour**
श्रमिक/श्रम
- (x) **Lok Adalat**
लोक अदालत

Section - B**4 × 10 = 40**

(Short Answer Questions)

Note: Answer **any four** questions. Each answer should not exceed 200 words. Each question carries 10 marks.

(खण्ड - ब)

(लघु उत्तरीय प्रश्न)

निर्देश : किन्हीं **चार** प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आप अपने उत्तर को अधिकतम 200 शब्दों में परिसीमित कीजिए। प्रत्येक प्रश्न 10 अंकों का है।

- 2) Discuss the concept of collective bargaining.
सामूहिक सौदेबाजी की अवधारणा को समझाइए।
- 3) Discuss the importance of Labour.
श्रम के महत्त्व को समझाइए।
- 4) Discuss the various principles of social Justice.
सामाजिक न्याय के विभिन्न सिद्धान्तों का उल्लेख कीजिए।
- 5) What is International labour organisation? What are the principle organs of it?
अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन क्या है? इसके प्रमुख अंग कौन-कौन से हैं?
- 6) Which method is better in the disposal of Industrial Disputes.
औद्योगिक विवादों को निपटाने में कौनसी पद्धति अच्छी है? विवेचना कीजिए।
- 7) Write short notes on tripartism in Labour Laws.
श्रम विधि में त्रिपक्षवाद पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखो।
- 8) What do you mean by labour Jurisprudence?
श्रम विधिशास्त्र से आप क्या समझते हैं? स्पष्ट कीजिए।

9) Write short note on Governing body of ILO.

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का अधिशासी अंग पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।

Section - C

2 × 20 = 40

(Long Answer Questions)

Note: Answer **any two** questions. You have to delimit your each answer maximum up to 500 words. Each question carries 20 marks.

(खण्ड - स)

(दीर्घ उत्तरीय प्रश्न)

निर्देश : किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अपने उत्तर को अधिकतम 500 शब्दों में परिसीमित करना है। प्रत्येक प्रश्न 20 अंकों का है।

10) Discuss the role of Indian constitution in the progressive evolution of Industrial, Jurisprudence. Refer some revolutionary decisions of the supreme court in this regard.

श्रम विधिशास्त्र के प्रगतिशील विकास में भारतीय संविधान की भूमिका पर विवेचन प्रस्तुत कीजिए। प्रस्तुत संदर्भ में उच्चतम न्यायालय के क्रान्तिकारी विनिश्चयों का संदर्भ प्रस्तुत कीजिए।

11) Explain the meaning of the term labour jurisprudence. How far have principles of natural justice been applied in labour jurisprudence & Discuss.

श्रम विधि शास्त्र शब्द का अर्थ समझाइए। नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों को किस स्तर तक श्रम विधिशास्त्र में प्रयुक्त किया गया है। विवेचना कीजिए।

- 12) Explain the main principles and objects of ILO. Also, explain the evaluation on of the Functioning of ILO.

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के प्रमुख सिद्धान्तों तथा उद्देश्यों को समझाइए।
अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के कार्यों का मूल्यांकन प्रस्तुत कीजिए।

- 13) State the facts, contentions of the parties and principles of law laid down in the following case:-

People's union for Democratic Rights and others

VS.

Union of India, 1982 II LLT 454 (SC)

निम्नलिखित वाद के तथ्य पक्षकारों के तर्क व विधि के प्रतिपादित सिद्धान्तों की विवेचना कीजिए।

पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स एवं अन्य

बनाम

भारतसंघ, 1982 II LLT 454 (SC)
